



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022021-225242
CG-DL-E-18022021-225242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942

No. 679]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2021

का.आ. 743(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4050(अ) दिनांक 10 नवम्बर, 2020 जो भारत के राजपत्र 11 नवम्बर, 2020 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में बीना संस्थापन से पनकी (कानपुर) उत्तर प्रदेश तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए बीना- पनकी पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 26 नवम्बर, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

तहसील- पाली		अनुसूची जिला- ललितपुर		राज्य- उत्तर प्रदेश	
गांव का नाम	सर्वे न./गाटा न.	क्षेत्रफल			
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
डोंगरा कलां	2569	00	38	52	
	2568	01	10	34	
	2567	00	01	08	
	2566	00	55	26	
	2564	00	38	34	
	2183	00	01	44	
	2182	00	10	53	
	2194	00	00	90	
	2181	00	31	14	
	2180	00	14	40	
	2179	00	21	96	
	2178	00	09	18	
	2177	00	16	92	
	2176	00	04	80	
	2175	00	10	44	
	2174	00	16	96	
	2173	00	00	50	
	2162	00	13	60	
	2161	00	10	20	
	2160	00	14	94	
	2159	00	14	56	
	2158	00	00	70	
	2151	00	17	10	
	2152	00	11	20	
	2153	00	01	60	
	2126	00	05	88	

	2127	00	20	94
	2128	00	18	18
	2129	00	12	78
	2130	00	17	10
	2084	00	20	16
	2086	00	29	80
	2094	00	18	08
	2095	00	18	72
	2102	00	14	76
	2105	00	10	18
	2003	00	05	28
	2106	00	12	24
	2108	00	13	68
	2011	00	01	08
	Total	06	85	47

[फा. सं. आर-11025(15)/3/2019-OR-I/E-29921]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 2021

S.O. 743(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4050 (E) dated the 10th November, 2020 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India 11th November 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Bina – Panki Pipeline for transportation of Petroleum products from Bina (Sagar, Madhya Pradesh) to Panki (Kanpur, Uttar Pradesh) by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 26th November, 2020;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land, specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication of the declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Bharat Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tehsil : Pali

District: Lalitpur

State: Uttar Pradesh

Name of Village	Survey No/Gata No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dongra Kalan	2569	00	38	52
	2568	01	10	34
	2567	00	01	08
	2566	00	55	26
	2564	00	38	34
	2183	00	01	44
	2182	00	10	53
	2194	00	00	90
	2181	00	31	14
	2180	00	14	40
	2179	00	21	96
	2178	00	09	18
	2177	00	16	92
	2176	00	04	80
	2175	00	10	44
	2174	00	16	96
	2173	00	00	50
	2162	00	13	60
	2161	00	10	20
	2160	00	14	94
	2159	00	14	56
	2158	00	00	70
	2151	00	17	10
	2152	00	11	20
	2153	00	01	60
	2126	00	05	88
	2127	00	20	94

	2128	00	18	18
	2129	00	12	78
	2130	00	17	10
	2084	00	20	16
	2086	00	29	80
	2094	00	18	08
	2095	00	18	72
	2102	00	14	76
	2105	00	10	18
	2003	00	05	28
	2106	00	12	24
	2108	00	13	68
	2011	00	01	08
	Total	06	85	47

[F. No. R-11025(15)/3/2019-OR-I/E-29921]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.